



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2018/ज्येष्ठ 18, 1940

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2018/ JYAISTHA 18, 1940

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

सं. 7-3/2003-केहोप(पार्ट-1).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 24 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः :-

(1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी (वृत्तिक आचरण शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) संशोधन विनियम, 2018 होगा ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

(2) इन विनियमों में विनियम 5 (अ) के पश्चात् निम्न विनियम को जोड़ा जायेगा नामतः—

“5ब. एक होम्योपैथी साम्यासी, रोगी अथवा प्राधिकृत सहायक अथवा कानूनी प्राधिकारी को 72 घण्टों की समयावधि के अंदर औषधपत्र उपलब्ध कराएगा जैसा कि इस प्रकार के व्यक्ति का अनुरोध अथवा आवश्यकता हो” ।

डॉ. आशिस दत्ता, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा/88/18]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-III अनुभाग 4, अधिसूचना संख्या-2 में दिनांक 16 मार्च, 1982 को प्रकाशित किया गया था तथा अंतिम संशोधन आधिकारिक राजपत्र में दिनांक 12-18, जुलाई, 2014 को प्रकाशित किया गया ।

**THE CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2018

F. No. 7-3/2003-CCH(Pt.-I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with section 24 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982, namely:-

- (1) These regulations may be called the Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Amendment Regulations, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the said regulations, after regulation 5A, the following regulation shall be inserted, namely:-

“5B. A practitioner of Homoeopathy shall provide the prescription to a patient or authorized attendant or legal authority within the period of 72 hours as requested or required by such person.”

Dr. ASHIS DATTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./88/18]

**Foot Note :** The Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* Notification No. 2, Extraordinary in Part III-Section 4 dated the March 16, 1982, and last amendments notified in Official Gazette dated July 12-18, 2014.

**RAKESH  
SUKUL**

Digitally signed by  
RAKESH SUKUL  
Date: 2018.06.11  
18:05:40 +05'30'